रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2015/वैशाख 25, 1937
No. 165] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2015/VAISAKHA 25, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली,12 मई, 2015

सं.एल–7/105(121)/2007–के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधनः**

(क) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के अधीन उपखंड (त्र) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखंड जोड़ा जाएगा; अर्थात्:-

> "(त्र-क) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रचालन प्रभार (एनएलडीसी प्रचालन प्रभार) या क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रचालन प्रभार (आरएलडीसी प्रचालन प्रभार) में विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के संबंध में, प्रभारों के अनुसूचीकरण, प्रणाली प्रचालन, वसूली और संवितरण के लिए फीस को शामिल किया जाएगाः
> परंतु यह कि नोडल एजेंसी द्वारा वसूल किए गए प्रचालन प्रभार अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (4) के अंतर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस एवं प्रभारों के अतिरिक्त होंगे।"

(ख) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के अंतर्गत उपखंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखंड जोड़ा जाएगा; अर्थात्:-

"(ण–क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रचालन प्रभार (एसएलडीसी प्रचालन प्रभार) में विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के अल्पकालिक निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के संबंध में प्रभारों के अनुसूचीकरण, प्रणाली प्रचालन, वसूली और संवितरण के लिए शुल्क को शामिल किया जाएगाः

परंतु यह कि अल्पकालिक निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वसूल किए गए प्रचालन प्रभार अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन संबंधित राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस एवं प्रभारों के अतिरिक्त होंगेः

परंतु यह कि इस विनियम के अनुसार आयोग द्वारा यथानिर्णीत एसएलडीसी प्रचालन प्रभार केवल अंतरराज्यिक अल्पकालिक ग्राहकों के लिए तब लागू होंगे यदि प्रचालन प्रभारों को संबंधित राज्य आयोगों द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है।"

3. **मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधनः**

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) के उपखंड (क) के दूसरे और तीसरे परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्:–

"परंतु यह और कि द्विपक्षीय संव्यवहारों (अंतःदिवस संव्यवहार/ आकस्मिक संव्यवहार को छोड़कर) के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए आरएलडीसी/एसएलडीसी को आवेदन करते समय विधिवत रूप से नोटरीकृत विस्तृत क्रियाविधि में निर्धारित फार्मेट में एक शपथ–पत्र यह घोषित करते हुए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा किः

(i) प्रस्तावित संव्यवहार के अंतर्गत जिसके लिए सहमति का आवेदन किया गया है विद्युत की यथास्थिति, बिक्री या क्रय के लिए, संबंधित व्यक्तियों से वैध संविदा है, और

(ii) उक्त (i) में यथा उल्लिखित उसी विद्युत की यथास्थिति, बिक्री या क्रय के लिए, कोई अन्य संविदा नहीं हैः

परंतु यह भी कि सामूहिक संव्यवहारों के मामले में अनापत्ति या पूर्व स्थाई क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए एसएलडीसी को आवेदन करते समय, शपथ पत्र में यह भी घोषणा शामिल की जाएगी कि उस विद्युत की बिक्री या क्रय के लिए, जिसके लिए अनापत्ति या पूर्व स्थायी क्लीयरेंस का आवेदन किया गया है, कोई अन्य संविदा नहीं है"

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम 2013 के खंड 3 के उपखंड (4) में, "(ख)(iii)" शब्द के स्थान पर "ख(ii)" शब्द रखा जाएगा।"

4. **मूल विनियम के विनियम 17 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 17 के खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"17(1) अंतवर्लित प्रत्येक क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रत्येक द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु प्रतिदिन या दिन के भाग के लिए ₹1000/– की दर पर और अंतवर्लित प्रत्येक राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए ₹1000/– प्रतिदिन या दिन के भाग की दर पर प्रचालन प्रभार आवेदक द्वारा प्रतिदेय होगा।

(2) सामूहिक संव्यवहार के मामले में, प्रचालन प्रभार अंतवर्लित प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को ₹2000/– प्रतिदिन की दर पर पावर एक्सचेंज द्वारा प्रतिदेय होगा और संव्यवहार के प्रत्येक प्वाइंट के लिए अंतवर्लित राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए ₹1000/– प्रतिदिन होगा।

टी. राउत, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन–III/4/असा./50/15(56)]

टिप्पण :

1. मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 10, तारीख 7.2.2008 में प्रकाशित किए गए थे।

2. मूल विनियमों को निम्नानुसार संशोधित किया गया :

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 86 में तारीख 29.5.2009 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009

(ii) भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खंड 4, संख्या 129, में तारीख 24.07.2009 को अधिसूचित तथा प्रकाशित शुद्धिपत्र।

(iii) भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खंड 4, संख्या 237, में तारीख 11.09.2013 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2015

No.L-7/105(121)/2007-CERC.- In exercise of the powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:-

1. **Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Third Amendment) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 2 of the Principal Regulations:**

(a) A new sub-clause shall be added after sub-clause (j) under clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:-

"(j-a) National Load Despatch Centre Operating Charges (NLDC operating charges) or Regional Load Despatch Centre Operating Charges (RLDC operating charges) shall include the fees for scheduling, system operation, collection and disbursement of charges in respect of short term open access transactions for inter-State transmission of electricity;

Provided that the operating charges collected by the nodal agency shall be in addition to the fees and charges specified by the Commission under sub-section (4) of Section 28 of the Act."

(b) A new sub-clause shall be added after sub-clause (o) under clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:-

"(o-a) State Load Despatch Centre Operating Charges (SLDC operating charges) shall include the fees for scheduling, system operation, collection and disbursement of charges in respect of short term open access transactions for inter-State transmission of electricity;

Provided that the operating charges collected by the State Load Despatch Centre for short term open access transactions shall be in addition to fees and charges, specified by the respective State Commission under sub-section (3) of Section 32 of the Act;

Provided further that the SLDC operating charges as may be decided by the Commission in accordance with this regulation shall be applicable to the inter-State short term customers, only if the operating charges have not been notified by the respective State Commission."

3. **Amendment of Regulation 8 of the Principal Regulations:**

(1) Second and third provisos to sub-clause (a) of clause (3) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:-

"Provided further that while making application to the RLDC/SLDC for obtaining concurrence for bilateral transactions (except for intra-day transaction/contingency transactions), an affidavit in the format prescribed in the Detailed Procedure, duly notarized, shall be submitted, along with the application, declaring that:

(i) There is a valid contract with the concerned persons for the sale or purchase, as the case may be, of power under the proposed transaction for which concurrence is applied for, and;

(ii) There is no other contract for sale or purchase, as the case may be, of the same power as mentioned in (i) above.

Provided further that while making application to the SLDC for obtaining no objection or prior standing clearance in case of collective transactions, the affidavit shall also include the declaration that there is no other contract for sale or purchase, as the case may be, of the same power for which no objection or prior standing clearance is applied for."

(2) In sub-clause (4) of clause 3 of Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Second Amendment) Regulations, 2013, the words "b (iii)" shall be substituted by the words "b (ii)".

4. **Amendment of Regulation 17 of the Principal Regulations:** Clause (1) and clause (2) of Regulation 17 of the Principal Regulations shall be substituted as under:-

"17. (1) Operating charges at the rate of ₹1000/-, per day or part of the day for each bilateral transaction for each of the Regional Load Despatch Centre involved and at the rate of ₹1000/- per day or part of the day for each State Load Despatch Centre involved shall be payable by the applicant.

(2) In case of collective transaction, operating charges shall be payable by the power exchange at the rate of ₹2000/- per day to the National Load Despatch Centre for each State involved and ₹1000/- per day for the State Load Despatch Centre involved for each point of transaction."

T. ROUT , Chief (Legal)

[ADVT. – III/4/Exty./50/15/(56)]

Note:

1. The Principal Regulations were notified on 7.2.2008 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 10.
2. The Principal Regulations were amended vide
   (i) Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission)(Amendment) Regulations, 2009 notified on 29.5.2009 in Part III, Section 4, Sr. No.10 of the Gazette of India Extraordinary.
   (ii) Corrigendum notified on 10.6.2009 in Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Ser. No. 10.
   (iii) Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Second Amendment) Regulations, 2013, notified on 11.9.2013 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 237.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.